# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

**पीठासीन अधिकारी :- मांगीलाल (आर.ए.एस.)**
**राजस्व प्रकरण संख्या :- 85/2022**
**राजस्व प्रार्थना पत्र :- अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

1. विशनसिंह पुत्र गुमानसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी

प्रार्थी..........

बनाम

1. प्रेमसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी धोलिया तहसील बाप जिला फलोदी

अप्रार्थीगण..

**उपस्थित:-**

1. श्री पर्वतसिंह भाटी अधिवक्ता प्रार्थी की और से
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी की और से

## निर्णय

**दिनांक:-** 03.01.2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थी ने एक नियमति राजस्व वाद खातेदारी अधिकारों के हिस्से की घोषणा एवं जारी करवाने स्थाई निषेधाज्ञा के लिए अप्रार्थी के विरूद्व न्यायालय हजा में पेश कर दिया है प्रार्थी के वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्ट्या साबित है एवं प्रार्थी को वाद में सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। प्रार्थी की पीढियों से कदिमी पैतृक काश्त भूमि खेत खसरा संख्या 715/2 रकबा 2.6305 हैक्टेयर ग्राम धोलिया तहसील बाप में आई हुई है। चालू जमाबंदी की प्रमाणित प्रति सम्वत 2078-2081 संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है। वादग्रस्त भूमि वक्त भू-प्रबन्ध सम्वत 2015 में प्रार्थी के पिता गुमानसिंह व उनके भाई जुगतसिंह पिता राहिमसिंह कौम राजपूत सा.देह जागीदार खुद काश्त दर्ज अभिलेख हुई। खतौनी बन्दोबस्त सम्वत 2015-2031 की प्रमाणित संलग्न है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी के काका उम्मेदसिंह पुत्र राहिमसिंह का नाम त्रुटिवंश दर्ज अभिलेख नहीं होने के कारण उम्मेदसिंह पुत्र राहिमसिंह का नाम तीनों भाईयों के आपसी सहमति बंटवाड़ा के जरिये 1/3 हिस्सा भूमि उम्मेदसिंह के नाम एवं 1/3 हिस्सा [illegible] के नाम और 1/3 हिस्सा प्रार्थी के पिता गुमानसिंह के नाम दर्ज [illegible] कदिमी पैतृक भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा एवं हित हासिल होने के [illegible]ता के साथ बहैसियत सहदायी कब्जा काश्त में चले आने के बावजूद प्रार्थी के पित[illegible] दिनांक 06.10.2021 को वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी के नाम विक्रय पत्र लिखाकर दिनांक 08.10.2021 को उप पंजीयक

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:49 IST
Reason: SelfAttested

शेखासर के समक्ष पेश कर विक्रय पत्र गलत निष्पादित करवा दिया। प्रार्थी का पैतृक सहदायी भूमि में जन्म से हक हासिल होने से प्रार्थी के पिता का वादग्रस्त भूमि में 1/7 हिस्सा विक्रय किया जाने का ही जायज हक होने के बावजूद प्रार्थी के हिस्से सहित सम्पूर्ण भूमि का विक्रय पत्र सरासर गलत करवाया गया है। प्रार्थी अपने पिता गुमानसिंह द्वारा दिनांक 08.10.2021 को 1/7 हिस्से से अधिक करवाये गये विक्रय पत्र को शुरू से ही शून्य विधि अनुसार प्रभावी घोषित करवाने और अपने 1/7 हिस्सा के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने तथा गलत विक्रय पत्र नामान्तरण संख्या 1325 ग्राम धोलिया पटवार मण्डल बारू को निरस्त करवाने का जायज हकदार है। दिनांक 23.01.2022 को अप्रार्थी ने प्रार्थी को वादग्रस्त खेत पर देखरेख करने जाने के वक्त धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि मैने जरिये विक्रय पत्र क्रय कर अपने नाम नामान्तरण जरिये खातेदारी में दर्ज करवा रखी है तुम्हारा हक और तुम्हारे पिता गुमानसिंह के परिवार का कोई हक हिस्सा नहीं रहा। खेत का कब्जा छोड़ दो अन्यथा हमला कर खेत से बेदखल करूंगा। अप्रार्थी गलत विक्रय पत्र की आड़ में वादग्रस्त भूमि के समस्त रकबा पर गैर कानूनी तरीके से नाजायज बलपूर्वक कब्जा करने और प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हो गया है, अगर अप्रार्थी अपने नापाक इरादों में सफल हो जाता है तो प्रार्थी के जायज हक हकूकों पर कुठाराघात होगा और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। प्रार्थी दावेदार है तथा अप्रार्थी अजनबी क्रेता के विरूद्ध वादग्रस्त अविभाजित काश्त भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थी राजस्व ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप के खसरा नंबर 715/2 रकबा 2.6305 हैक्टेयर भूमि में मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी उपस्थित आये तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से है-

प्रार्थी ने अदालत हाजा में एक दावा बाबत खातेदारी [illegible] की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अवश्य पेश किया है लेकिन [illegible] एवं वाद में वर्णित तथ्यों तथा उक्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं होने [illegible] प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं पाया जाता है। ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र [illegible] के मूल खसरा नम्बर 715 गुमानसिंह पुत्र रायसिंह व उनके भाईयों के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज हुआ। उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:49 IST
Reason: SelfAttested

का मूल खातेदारों ने बंटवाड़ा कर लिया था बंटवाड़ा अनुसार खसरा नम्बर 715 रकबा 2.6305 भूमि गुमानसिंह के बंट में रखी गई थी जो वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज है। उक्त भूमि प्रार्थी की पैतृक भूमि नहीं है। ग्राम धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के मूल खसरा नम्बर 715 गुमानसिंह पुत्र रायसिंह व उनके भाईयों के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज हुआ था। ग्रमा धोलिया पटवार क्षेत्र बारू के खसरा नम्बर 715 वक्त सेटलमेंट गुमानसिंह व उनके भाईयों के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई थी जो खतौनी बन्दोबस्त से प्रमाणित है उक्त भूमि के मूल खातेदारों ने अपने कब्जा काश्त अनुसार बंटवाड़ा कर लिया था उक्त बंटवाड़ा अनुसार गुमानसिंह को खसरा नम्बर 715/2 रकबा 2.6305 हैक्टेयर भूमि बंट में आई थी और उक्त भूमि की नक्शा लट्ठा में तरमीम भी हो रखी है। उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार गुमानसिंह ने अपने नाम दर्ज भूमि को जरिये पंजीब, विक्रय पत्र के प्रतिफल लेकर अप्रार्थी को बेचान कर दी थी। बेचान अनुसार अप्रार्थी के नाम नामान्तरण संख्या 1325 मौजा धोलिया भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त भूमि पैतृक सम्पति नहीं है। उक्मत भूमि पैतृक सम्पति नहीं होने से उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है। प्रार्थी अप्रार्थी के पक्ष में हुए विक्रय पत्र को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करवाने के कोई अधिकारी नहीं है और न ही प्रार्थी उक्त भूमि में किसी प्रकार की कोई घोषणा करवाने का ही अधिकारी है। अप्रार्थी का उक्त भूमि में खरीद के दिन से ही आज दिन तक लगातार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई कब्जा व काश्त नहीं है न ही उक्त भूमि में प्रार्थी का कोई हक व हिससा ही है। जब उक्त भूमि के किसी भी हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त ही नही है तो अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को दिनांक 23.01.2022 को बेदखल करने की धमकी देने का प्रश्न ही नहीं बनता है। खसरा नम्बर 715/2 रकबा 2.6305 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के खरीद की है और खरीद अनुसार मौके पर अप्रार्थी काबिज है तो तथ्य वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी से प्रमाणित है। उक्त भूमि न तो पैतृक है और न ही उक्त भूमि के हिस्से पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त है और न ही उक्त भूमि को लेकर के प्रार्थी को किसी प्रकार का कोई कुठाराघात ही हो रहा है और न ही प्रार्थी को किसी प्रकार की कोई अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार एवं सद्भावी क्रेता अप्रार्थी के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है। उक्त भूमि विक्रेता गुमानसिंह पुत्र रायसिंह व उनके [illegible] दर्ज हुई थी जो भूमि पैतृक सम्पति नहीं है। विधि अनुसार जो भूमि [illegible] चार पीढ़ियों से उत्तरोतर चली आ रही हो वही भूमि पैतृक सम्पति होती है इसलिये उक्त भूमि पैतृक सम्पति ही नही है तो उक्त प्रार्थना पत्र किसी भी परिस्थिति में चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बारां (राज.)

भूमि का सद्भावी केता है जिसने उक्त भूमि के विक्रेता गुमानसिंह को पूर्ण प्रतिफल देकर के खरीद की है प्रार्थी ने अप्रार्थी को मात्र हेरान व परेशान करने की गरज से ही यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर बहस में बताया कि खेत खसरा नम्बर 715 रकबा 48.13 बीघा भूमि ग्राम बारू वर्तमान ग्राम धोलिया जुगतसिंह, गुमानसिंह पि. राहींगसिंह कौम राजपूत सा.देह जागीरदार खुद काश्त दर्ज भू-प्रबन्ध की इस पृष्टि से भूमि कदिमी पैतृक होना साबित है। जागीरदार की खुदकाश्त भूमि आज तक सभी न्यायिक निर्णयों में पैतृक होना मानी है इस संबंध में न्यायिक निर्णय

(1) RRD 1992 Page no. 450 भैरूसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

(a) Section 30B (a) Jagir land is ancestral property-The ceiling limit on such lands should be worked out after considering the notional shares of the sons and the widowed mother, if any after finding out whether they are dependant or not on the assessee. (para 6)

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर अपील/एल.आर./5114/2010/जोधपुर फूलसिंह बनाम हरीसिंह वगैरा. में पैरा (6) में वसीयत की गई भूमि में :- "वसीयत पैतृक सम्पति की होने से अपीलार्थी मालिक नहीं हो सकता हैं। वसीयत की गई भूमि वसीयतकर्ता की सेल्फ एक्वायर्ड नहीं होकर पैतृक कृषि भूमि है, जिसमें दोनों बहनों एवं दोनों भाईयों का बराबर हिस्सा हैं।"

(2) यह है कि खसरा नम्बर 715 रकबा 8.02 बीघा भूमि ग्राम बारू जागीरी में स्टेट जैसलमेंर के अधीन आती थी प्रार्थी के दादा राहिंगसिंह व दादा परदादा के नाम से पैतृक जागीरी भूमि चली आ रही थी, राहिंगसिंह की मृत्यु विक्रम सम्वत 2010 में हुई थी इसी कारण उनके पुत्रों जुगतसिंह, गुमानसिंह नाम से पैमाईश हुई, उसमें राहिंगसिंह के तिसरे पुत्र उम्मेदसिंह का नाम नहीं आया फिर परिवार का बंट्वाड़ हुआ जरिये बंट्वाड़ में पैतृक सम्पति होने के कारण बंट्वाड़ में उम्मेदसिंह का नाम आया, यह सभी परिवार वालों ने स्वीकार किया था।

(3) यह कि प्रार्थी के पिता गुमानसिंह ने अपने नाम बंटवारे में हिस्से में आयी भूमि खसरा नम्बर 715 रकबा 16.13 बीघा भूमि दिनांक 08.10.2021 को अपने हिस्से से अधिक का विक्रय पत्र गलत करवाया है, प्रार्थी व अप्रार्थीगण भाई बहनों को मिलाकर कुल 1/7 हिस्सा प्रत्येक का होने से प्रार्थी के पिता गुमानसिंह को खसरा नम्बर 715 में विक्रय,

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:49 IST
Reason: SelfAttested

बख्शीश इत्यादि से अन्तरण करने का हक हासिल होते हुए प्रार्थी के भाई व बहनों के हिस्से सहित गलत विक्रय की है, जबकि 1/7 हिस्सा ही विक्रय, बख्शीश, अन्तरण करने का हक, अधिकार था प्रार्थी का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि के माफिक मजबूत आधार पर है, वाद में प्रार्थी को पूरी-पूरी सफलता मिलने की उम्मीद है।

(4) यह है कि अप्रार्थी को प्रार्थी के पिता ने सम्पूर्ण भूमि विधि के विरूद्ध गलत बख्शीश विक्रय की है, कदिमी पैतृक भूमि पर प्रार्थी व उसके सभी भाई-बहनों का बराबर हक हिस्सा व कब्जा काश्त है। अप्रार्थी गलत विक्रय पत्र को अपने आधार बनाकर उसका गलत नामान्तरण अपने नाम से स्वीकृत करवाने के बाद वादग्रस्त भूमि सरासर गलत अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा ली है, जो कानून के विरूद्ध दर्ज करवाई है।

(5) यह कि प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को मूल राजस्व वाद के निर्णय तक कन्फर्म नहीं किया जायेगा तो प्रार्थी को भूमि से बलपूर्वक बेदखल कर दिया जायेगा तो प्रार्थी को भूमि में तथा मौके पर लड़ाई झगड़ा होने से फौजदारी एवं राजस्व की अलग-अलग कार्यवाहियां होंगी तथा प्रार्थी को बेवजह हैरानी व परेशानी होगी तथा लम्बे समय तक स्थगन के अभाव में कार्यवाहियां के बढ़ने से न्याय मे विलम्ब होगा और समय व धन की बर्बादी होगी। प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश नियमित राजस्व वाद के अन्तिम निर्णय तक (कन्फर्म) स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवायी जाने का आदेश फरमावे।

बहस वकुलाय पक्षकारान् प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी।

पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, लिखित बहस इत्यादि का अवलोकन किया गया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है-

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ पेश दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:49 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली के संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2078-81, नामान्तरण संख्या 1325 दिनांक 22.12.2021 पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 08.10.2021 का अवलोकन किया गया। जमाबंदी अनुसार अप्रार्थी प्रेमसिंह पुत्र भवानीसिंह वादग्रस्त भूमि का एकल अभिलिखित काश्तकार है जिसको वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज विक्रेता गुमानसिंह पुत्र राहिमसिंह से क्रय की है जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार किसी सक्षम न्यायालय से आक्षेपित नहीं है और न ही नामान्तरण संख्या 1325 किसी सक्षम न्यायालय में आक्षेपित है यद्यपि प्रार्थी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें साक्ष्योपरान्त निर्धारण होना है कि प्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में हक व हिस्सा है या नहीं लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी को वादग्रस्त भूमि जरिये पंजीबद्ध दस्तावेज से प्राप्त होने व अभिलिखित काश्तकार होने के चलते प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

## सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत् 2078-81 का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के अभिलिखित काश्तकार है। उक्त भूमि अप्रार्थी ने पंजीबद्ध दस्तावेज के क्रय की है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने प्राथमिक अधिकारों यथा आराजी के उपयोग-उपभोग, बैंक ऋण और बेचान आदि सुविधाओं से वंचित हो सकते है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

## अपूर्णीय क्षति

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:49 IST
Reason: SelfAttested

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक [illegible] के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,188,[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का

सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुवे है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति नहीं होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

**-:आदेश:-**

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भाँति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.04.2022 को खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 15:01:49 IST
Reason: SelfAttested